## सार-समाचार

### भादवी छठ पर शोभायात्रा निकली

**देवगढ़,** (निसं)। दिवेर मैराथन आफ मेवाड़ में भादवी छठ के उपलक्ष्य पर मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकदेवता श्री देवनारायण भगवान की भव्य शोभायात्रा का आयोजन सोमवार को किया गया। देवनारायण मंदिर दिवेर में स्थित भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर अशवारुढ़ रजत की प्रतिमा को सुसज्जित रथ में स्थापित कर यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रातः 11 बजे शोभायात्रा का शुभारम्भ हुआ जो रेतवालिया, बस स्टेण्ड मैन बाजार, बडी हथाई, छोटी हथाई, छोटा वास, चम्पाचैक, खटीक मोहल्ला, कलाल मोहल्ला, से होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंची। शोभायात्रा में घोडौं पर सुसज्जित भव्य झांकियां साथ चल रही थी। तथा विभिन्न श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्वानुसार मार्ग में भिन्न-2 प्रकार के प्रसाद वितरण स्टॉल लगाये तथा रैली में आने वाले भक्तों की सेवा की देवभक्त पूरी शोभायात्रा के दौरान जयकारे एवं गुलाल उड़ाते व पुष्प वर्षा करते हुए ढोल व डीजे की थाप पर नाचते गाते साथ चल रहे थे। पूरा गांव उत्साह व उमंग में डूबा हुआ था महिलाएं गीत गाते चल रही थी शोभायात्रा में आसपास के कई गांव खेड़ाजस्सा, पीपरेलू, बांसाबारी, नरदास का गुडा, टोकरा, रतना का गुडा, सातपालिया आदि गांवों के सैकडो भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

### कार से नकदी व जेवरात चोरी

**उदयपुर,** (कासं)। टीडी थाना क्षैत्र टीडी डेम पर पिकनीक मनाने आए पर्यटकों की कार के कॉच तोड़ कर चोर नकदी व जेवरात चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को मगराज करवासरा पुत्र मेघाराम जाट निवासी निम्बालिनयों कीढाणी मादुपुर बालोतरा टीडी डेम पर पिकनीक मनाने आया था। जहां कार खड़ी कर नहाने गया था। इसी तरह अक्षय पंवार पुत्र किशारे निवासी पार्श्वनाथ विहार गुप्तेश्वर महादेव मार्ग तितरड़ी अपने परिवार के साथ टीडी डेम पर आया था। जहां कार खड़ी कर डेम पर गया था। वापस लौटते तो मगराव व अक्षय की कार के कॉच टूटे हुए एवं मगराज की कार से लेपटॉप व पांच हजार रूपये तथा कपड़े गायब थे। वहीं अक्षय की कार से सोने की अंगूठी, 24 हजार रूपये नकदी गायब थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की।

### दो आरोपियों को जेल भेजा

**उदयपुर,** (कासं)। आपसी विवाद में चाकू से हमला कर युवक को घायल करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। प्रकरण के अनुसार 8 सितंबर गो दुधिया गणेश जी रोड़ परआयोजित कार्यक्रम के दौरान धक्का मुक्की को लेकर पंकज पुत्र भंवरलाल ओड़ निवासी ओड बस्ती सामुदायिक भावन के पास तथा शुभम गमेती निवासी एकलव्य कॉलोनी के बीच कहासुनी हो गई थी। दोनों के विवाद को देख आयोजकों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। जहां से निकलने के कुछ समय बा आरोपी शुभम अपने साथियों के साथ आकर चाकू से पंकज के पेट में घोंप फरार हो गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी शुभम पुत्र तख्तलाल मीणा तथा नरेन्द्र पुत्र रूपलाल गमेती दोनों निवासी एकलव्य कॉलोनी को अनुसंधान अधिकारी रामनाथ ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया।

### बड़ी सादड़ी ने जीता उद्घाटन मैच

**कपासन,** (निसं)। उच्च माध्यमिक विद्यालय के 17 एवं 19 वर्ष छात्र वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता समारोह पूर्वक शुरू हुई। इस मौक़े पर विधायक अर्जुनलाल जीनगर के मुख्य आतिथि थे। अध्यक्षता भाजपा ठाामीण मंडलअध्यक्ष छोगालाल गाडरी ने की। विशिष्ट अतिथि भाजपा ठाामीण मंडल अध्यक्ष शंभूलाल जाट, पूर्व विधायक बद्री लाल जाट, सरपंच संघ अध्यक्ष प्रकाश चौधरी, सरपंच रतननाथ योगी महा मंत्री प्रेमशंकर जाट, शनि महाराज मंदिर कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह, सचिव कालू सिंह चौहान ,सेवानिवृत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉ रामसिंह चुंडावत भंवरलाल खटीक ,सहित आदि थे।शारीरिक शिक्षक प्रदीप सिंह और हरलाल जाट ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले की 44 टीमों के 550 खलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन मैच 19 साल वर्ग में बेंगू ओर बड़ी सादड़ी के बीच खेला गया। जिसमें बड़ी सादड़ी 13 पॉइंट से विजय रही।समारोह में सरपंच नारायणी देवी जाट, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी गोपाललाल शर्मा, मुख्य निर्णायक मिठू लाल जाट, पर्यवेक्षक श्याम सुंदर मूंदड़ा, राजेश ओझा, प्रकाश जाट, आदि मौजूद थे।

### भिखारी के शव की हुई शिनाख्त

**उदयपुर,** (कासं)। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक मंदिर के बाहर खंडहरनुमा कमरे में मिली एक भिखारी के शव की पहचान हो गई, जिस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार एक युवक जो बेदला में करीब एक माह से मांग कर खाता था और वहीं पर दशा माता मंदिर के पास खंडहर नुमा एक कमरे में सो जाता था, जो शनिवार को दोपहर तक पड़ा हुआ था, जिसे लोगों ने हिला.डुला कर देखा तो वह मरा पड़ा था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों की तलाश तो मृतक की पहचान हकरा (50) पुत्र दल्ला लूर निवासी बदराणा फलां लूरों की गवाड़ी झाडोल के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से परेशान था और दो साल पहले गांव छोडक़र चला गया था और उदयपुर रह रहा था। परिजनों ने इसे कई बार पुनः गांव ले जाने का प्रयास किया पर यह गांव नहीं जाता था और यहीं पर मांग कर खाता था। मृतक के पुत्र के आने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

### देहलीगेट पर सीज दुकानों में लगी आग

**उदयपुर,** (कासं)। उदयपुर शहर के देहलीगेट पर रविवार रात फैशन डीजी स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे लाखों रुपए के सामान के साथ पीछे गैराज में खड़ी दो गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। वक्फ से इस जमीन को लेकर विवाद के बाद निगम ने फरवरी माह में बनी 44 दुकानों को सीज कर दिया था। इनमें यह स्टूडियो भी शामिल था।घटना की राह चलते किसी व्यक्ति ने फायर ब्रिगेड स्टेशन में सूचना दी। जहां से फायर ब्रिगेड की दो गाडियां मौके पर पहुंची। वहीं भूपालपुरा और धानमंडी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।दुकान सीज थी इसलिए दमकलकर्मियों ने बाहर से ही पानी की बौंछार करते हुए आग बुझाने की कोशिश की। तभी शटर में करंट फैलने से उन्हें झटके लगने लगे। सभी ने पाइप को छोड़कर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद में बिजली सप्लाई बंद करवा टीम ने दूसरे रास्ते से प्रवेश कर रात 1:40 बजे आग पर काबू पाया।

### पानी से भरे खड्डे में युवक डूबा

**उदयपुर,** (कासं)। जिले के जावरमाइंस थाना क्षेत्र में पानी से भरे खड्डे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के शव को दूसरे दिन बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार धर्मा (35) पुत्र रामा मीणा निवासी बाबरमाल बरगट फलां जावरमाइंस जो रविवार को अपने खेत से किसी काम से जा रहा था। रास्ते में पगडंडी पर चिकनाहट होने से यह स्लिप होकर एक पानी से भरे गड्डे में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। इसकी पुत्री ने इसे देखा तो शोर मचाया, जिस पर ग्रामीण आए और रविवार को काफी प्रयास के बाद भी शव नहीं मिल पाया। सोमवार को गामड़ी के गोताखोर कोदरलाल,केशुलाल और दलपत लाल ने तलाश शुरू की और आधे घंटे में शव को बाहर निकाल लिया।

# समोर बाग के दोनों ओर से हटाए ठेले, खांजीपीर रोड पर किए शिफ्ट

**उदयपुर,** (कासं)। नगर निगम ने सोमवार को समोर बाग के दोनो ओर खड़े रहे रहने वाले ठैलों को हटाकर समोर बाग से खांजीपीर की ओर जाने वाली रोड के किनारे शिफ्ट कर दिया। साथ ही इस रोड पर लगे केबिनों के मालिकों को भी अपने स्तर पर केबिन शिफ्ट करने के निर्देश दिए और जिन लोगों ने सीमा से आगे बढक़र नाली के उपर दुकानें बना ली है उन्हें भी दुकानों को अपनी सीमा में ले जाने के लिए निर्देश दिए। निगम की कार्यवाही के बाद शहर विधायक ताराचंद जैन ने मौके पर जाकर स्थिति को देखा। साथ ही जिन केबिन वालों के पास लाईसेंस नहीं है उनके बारे में महापौर से बात करने का आश्वासन दिया है।

- पर्यटन सीजन के दौरान वाहनों की जाम की स्थिति से थोड़ी राहत मिलेगी

उदयपुर के समोर बाग रोड़ के दोनों तरफ से ठेले हटा गए। ठेले हटने के बाद पूरी तरह से दिखाई दी रोड।

जानकारी के अनुसार समोर बाग रोड़ पर दोनो ओर कई ठैले वाले खड़े रहते है और कईयों ने केबिन लगाकर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ज्यादातर ठेलों पर खाने-पीने की सामग्री मिलती है तो इन लोगों ने सडक़ पर कुर्सियां व टेबल लगा दी, जिससे सडक़ काफी संकरी हो गई है। यह रोड़ पर्यटकों से गुलजार रहती है और पर्यटन सीजन में यहां पर काफी भीड़ रहती है और घंटों तक वाहनों का जाम लगा रहता है, जिससे पर्यटक खासे परेशान होते है। शहर विधायक ताराचंद जैन ने कुछ दिनों पूर्व निगम के अधिकारियों के साथ यहां का दौरा किया और स्थिति को देखकर सभी ठैले वालों और केबिनों को समोर बाग से खांजीपीर मुड़ते ही सडक़ के किनारे पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे।

साथ ही वहां पर ठेले लगाने वालों और केबिन वालों से भी समझाईश की थी। सोमवार सुबह नगर निगम से राजस्व अधिकारी नीतिश भटनागर, राजस्व निरीक्षक विजय जैन, राहुल मीणा सहित निगम का जाब्ता मौके पर जाते ही सभी पूर्व में बताएं स्थान पर शिफ्ट होने के लिए कहा। सभी ठैले वालों ने भी सहयोग करते हुए समोर बाग से खांजीपीर रोड़ पर सड़क किनारे शिफ्ट हो गए। निगम के अधिकारियों ने 23 ठेले वालों को शिफ्ट किया है।

## तेरह संदिग्ध गिरफ्तार

**उदयपुर,** (कासं)। पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज अजयपाल लांबा के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चन्द्र के सुपरविजन में हाथीपोल थानाधिकारी के नेतृत्व में एमबी चिकित्सालय, बाल चिकित्साल, इमरजेंसी, पार्किंग स्थल सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चला कर वहां संदिग्ध हालत में घूमते 13 जनों को गिरफ्तार किया।

## नकबजन गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार

**उदयपुर,** (कासं)। शहर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने नकबजनी करने वाली गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया तथा विधी से संघर्षरत एक अपचारी को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपियों ने पच्चीस मोबाईल चोरी की वारदातें कबूली है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किया लेपटॉप, उपकरण व बाइक बरामद किया।

प्रकरण के अनुसार16 अगस्त को जय अग्रवाल पुत्र भरत अग्रवाल निवासी रामजी मंदिर के पास टिंबा गरारियाघर भावनगर गुजरात हाल मानसरोवर कॉलोनी बलीचा उत्तराखंड़ समिति के पास गोवर्धन विलास ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि मैं आईआईएम में काम करता हूं 15 अगस्त रात में अज्ञात चोर घर से लेपटॉप व उपकरण चुरा ले गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपालस्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक गजेन्द्रसिंह राव के सुपरविजन में गठित दल ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर गणेशलाल पुत्र नाथू जरफा निवासी खडीया थाना बाघपुरा व गोपाल कुमार मीणा निवासी खडीया थाना बाघपुरा को गिरफ्तार किया तथा विधी से संघर्षरत एक बालअपचारी को डिटैन किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया लेपटॉप व उपकरण एवं वारदात में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया।

# विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष निलंबित

विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष के निलंबित के विरोध में प्रदर्शन किया।

**डूंगरपुर,** (निसं)। बिजली निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा डूंगरपुर के विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष खेमराज यादव को निलंबित किये जाने के बाद निगम के कार्मिक लामबंद हो गए हैं।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर के नेतृत्व में निगम के कार्मिकों ने एसई ऑफिस पर धरना देकर प्रदर्शन किया। वहीं, अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जिलाध्यक्ष खेमराज यादव को बहाल करने और एफ आरटी में पर्याप्त कार्मिक लगाने के लिए ठेकेदार को पांबद करने की मांग की है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर के नेतृत्व में सोमवार को डूंगरपुर बिजली निगम के कार्मिक डूंगरपुर अधीक्षण अभियंता एसई ऑफिस पर एकत्रित हुए। वहीं, इसके बाद निगम कार्मिकों ने डूंगरपुर अधिशासी अभियंता द्वारा डूंगरपुर विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष खेमराज यादव को निलंबित किये जाने के विरोध में धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया की डूंगरपुर में पिछले 6 साल से एफआरटी से काम करवाया जा रहा है। जिसमें एक टीम में 15 कार्मिक लगाने का प्रावधान हैए लेकिन वर्तमान में एक भी टीम में 6 से 7 कार्मिको से ज्यादा कार्मिक नहीं है। जिसके चलते बिजली आपूर्ति में अवरुद्ध होने पर काम समय पर नहीं हो पाता। जिसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पडता है। इस बारे में जिलाध्यक्ष खेमराज यादव ने निगम के अधिकारियों को ठेकेदार को पाबंद करवाने के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों ने ठेकेदार को पाबंद न करके आवाज उठाने वाले संघ के जिलाध्यक्ष खेमराज यादव को ही निलंबित कर दिया।

# धोखाधड़ी से जमीन बेचने वाला व गवाह गिरफ्तार

**उदयपुर,** (कासं)। डमी मालिक जरिये जमीन बेच कर पीडित से लाखों की नकदी हडपने वाले व गवाह को गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार पीडिता वन्दना पत्नी रामकुमार गोयल निवासी प्रभात नगर सेक्टर 6 हॉल क्राउन बिल्डींग सेक्टर 8 चारकोप कांदीवली बेस्ट मुम्बई ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 1985 में आई ब्लॉक में भूखण्ड क्रय किया था। जिसे बदमाशों ने अपना बता कूटरचित दस्तावेज जरिये हरकलाल पुत्र खेमराज जैन निवासी अशोका अपार्टमेंट श्रद्धानंद रोड़ नियत नवीन ठक्कर विलेपाले के पक्ष में फर्जी रजिस्टी करवा कर पट्टा जारी करवा काम करना शुरू कर दिया। इसका पता चलने पर कूटरचित दस्तावेज जरिये बचेने की जानकारी सामने आई। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक गजेन्द्रसिंह राव के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थानाधिकारी भवानीसिंह राजावत के नेतृत्व में गठित दल ने कार्यवाही करते हुए इस मामले में भूखण्ड के फर्जी मालिक बने भंवरसिंह राजपुत निवासी जाम्बूड़ा गिंगला सलूम्बर हाल सी ब्लॉक सेक्टर 9 सविना व फर्जी गवाह राजेश कुमार उर्फ राजु हरिजन निवासी सी ब्लॉक सेक्टर 9 को गिरफ्तार किया। मामले में पूर्व में डमी खाताधारक दिनेश भांड़ एवं मुख्य षड़यंतकर्ता दामोदर नागदा, प्रवीण शर्मा व शाहिद उर्फ कालु उर्फ राजा को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। दामोदर नागदा ने अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा, शाहिद उर्फ कालु के साथ मिल कर भूखण्ड का फर्जी मालिक दिनेश कुमार बंब के स्थान पर भंवरसिह को बता कर धोखे से हरक लाल जैन को बेच कर 75 लाख की नकदी हडप ली थी। गवाह सोमपाल सिंह राठोड़ के स्थान पर राजेश कुमार उर्फ राजु को बनाया तथा चैक से नकदी दिनेश के खाते में प्राप्त की थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

वहीं शहर के एमबी चिकित्सालय परिसर से महिला का मोबाईल चोरी करने वाले को हाथीपोल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीडिता कृष्णा मैनारिया निवासी खैरोदा ने हाथीपोल पुलिस थाने में 7 सितंबर को प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि मैं एनटीसीवी यूनिट में रूकी थी। एवं दवाई लेने गई। इस दौरान अज्ञात चोर मेरा मोबाईल चुरा ले गया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर हाथीपोल थानाधिकारी आदर्श कुमार के नेतृत्व में गठित दल ने शंकरलाल डांगी निवासी ओडी नान्दवेल डबोक हॉल सूरजपोल खटीकवाड़ा एवं महेन्द्र भील पुत्र राम सहाय भील निवासी मंगरा बस्तीबडगांव को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी किया मोबाईल बरामद किया।


पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर, एलआईसी भवन तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [ नियम 8( 1 ) देखें]
कब्जा सूचना ( अचल सम्पत्ति के लिए )

जबकि
अधोहस्ताक्षरकर्ता **श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा** ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **श्रीमती रेखा बेन नाई पत्नी श्री जगदीश नाई एवं जमानतदार श्रीमती पार्वती देवी मनत पत्नी श्री अमृत लाल मनत** पर मांग सूचना **दिनांक 04.05.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 30.04.2024 को बकाया राशि रू. 3,94,328/- ( रूपये तीन लाख चौरानवे हजार तीन सौ अठाइस मात्र ) प्लस दिनांक 01.05.2024 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 05, माह सितम्बर, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13( 4 ) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।
कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13( 8 ) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 30.04.2024 को बकाया राशि रू. 3,94,328/- ( रूपये तीन लाख चौरानवे हजार तीन सौ अठाइस मात्र ) प्लस दिनांक 01.05.2024 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय- डूंगरपुर, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन
सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती रेखा बेन पत्नी श्री जगदीश नाई के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान नं. 5/212, शिवाजी नगर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, डूंगरपुर, राजस्थान 314001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 30.937 वर्ग मीटर है। **सीमाएं-** उत्तर: मकान 5/213, दक्षिण: मकान 5/211, पूर्व: मकान नं. 5, पश्चिम: रोड
स्थान: डूंगरपुर
दिनांक: 05.09.2024
हस्ता.
( शैलेन्द्र कुमार वर्मा )
प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक



THE ORIENTAL INSURANCE CO. LIMITED
Divisional office
Shree Krishana Plaza, 100 feet Road, Shobhagpura,
Udaipur.313001(Raj.) Tel.0294-2981013,2980013,2980113
e-mail:242500@ Oriental Insurance.co.in

PUBLIC NOTICE

The below mentioned Motor / Fire / Miscellancous Covernotes of the Company have been lost:
**Deptt :- FIRE-COVERNOTE NO**. 13101, 13102, 13103, 13119, 13167, 13169, 13171, 13179 TO 13184, 13186 TO 13189, 13194, 13203, 13213, 13479, 13482, 13488, 134 90, 13853, 13858. 13859.13864, 13866, 13869, 13873, 12729 TO 12750, 134235 TO 134300, MARINE-7778, 7779, 7780, 7782, 7785, 7792 TO 7797, 7799, 7800, 43815 TO 43825.ENGG-71780 TO 71800, 329078 TO 329100, 329102 TO 329125, 329126 TO 329150. MISC-99226 TO 99250, 99376 TO 99400, 99401 TO 99425, 88501 TO 88525, 99551 TO 99575, 17326 TO 17350, 99501 TO 99508, 99510, 99518, 99521, 39857 TO 39875, 39887 TO 39900, 39907 TO 39925, 88851, 99604, 99605, 99620, 99621.99626 TO 99642, 99644, 99651, 99659, 99661, 99662, 99663, 99668, 99669, 99672, 99677, 99679.99685, 99687 TO 99695, 99697, 99698, 99700, 99529, 99532 TO 99534, 99536, 99537, 99541, 99547, 99548, 99550, 99579, 99587, 99588, 99598, 71876 TO 71900, 359585 TO 359600, 38426 TO 38450, 38926 TO 38944, 229791 TO 229800, 344135 TO 344150.
MOTOR COVERNOTE NO 619401 TO 619404, 619406, 619411, 619426, 619437 TO 619452, 619468 TO 619475, 619479 TO 619484, 619651 TO 619654, 619658 TO 619660, 619662, 619526 TO 619529, 619538, 619543, 619576 TO 619600, 619777,619778, 619780, 619783, 619785, 619787, 619801 TO 619825, 619772, 619775. 619726 TO 619733, 603326 TO 603328, 603331, 603333, 603335, 603337,603338, 603341, 603343 TO 603350, 603151 TO 603172, 604076 TO 604100, 604351 TO 604369,604371 TO 604375, 560076 TO 560097, 560100, 560351 TO 560360,560362 TO 560364, 560001 TO 560025, 619376 TO 619400, 619301 TO 619325, 603251 TO 603275, 604051 TO 604075, 322519 TO 322522, 322525, 322551, 322557, 322565, 322566, 322576 TO 322600, 322624, 322625,322632, 322633,322635 TO 322650, 322661, 322662, 322664, 322666, 322675 TO 322679. 322685. 322690, 322696, 322708, 322713, 322720, 322721, 619838, 619844, 619851 TO 619853, 619862, 619864, 619888 TO 619900, 619928, 619943, 619944, 619948 TO 619950. 619953, 619964, 619966, 619968, 619983, 619999, 620000, 560435, 560447, 603385.603390, 603395, 709851 TO 709875, 892809, 892815, 925744, 205301 TO 205325, 205476 TO 205500. 207801 TO 207825, 554926, 611384. 665167, 665168, 668627, 627451 TO 627475, 744476 TO 744500, 747559, 747569, 773718, 775702, 775718, 840988 TO 841000, 907828, 907829, 907843, 907847, 902190, 924652, 924675, 924966, 924979, 982793, 79876, 87202, 87206, 87212, 87351, 87365, 87676, 87677, 87721, 87861, 127863, 127865, 128158, 128178, 128181, 154378, 129576, 129580, 129587, 129849, 128778 TO 128800, 128892, 128910, 128911, 128920 TO 128925, 128992, 128994, 129110, 129120, 132435, 133127, 133299, 229464, 229484, 229548 229549, 166426 TO 166450, 191257 TO 191275,559748,559749,559750,

Police Report has been lodged vide LR No. 2376867/2024 Dated 31/08/2024
The Company shall not be liable for any loss or liability arising due to the misuse of the above covernotes.
Finder may return to:
The Oriental Insurance Company Limited,
Business office, Shri Krishana Plazza, 100 feet Road, Shobhagpura,
Udaipur. PIN-313001 Phone No.0294-2981013 for the oriental Insurance co. Ltd,
Authorised Signatory



कार्यालय नगरपालिका मण्ड़ल, बड़ीसादड़ी
जिला-चित्तौड़गढ़ ( राज. )

क्रमांक/न.पा.ब./भूमि शाखा/2024/1173 दिनांक: 6.09.2024

-: उजरदारी सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका क्षेत्र बड़ीसादड़ी में निम्न आवेदक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मकान का हस्तान्तरण/ भवन निर्माण स्वीकृति अपने नाम से चाहा गया है। इस बाबत इनके मालिकाना हक सम्बन्धी अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस उजरदारी के प्रकाशन के 7 (सात) दिवस में अपनी आपत्ति मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। बाद गुजरने मियाद कोई भी आपत्ति काबिले समायात नहीं होगी, विवरण इस प्रकार है।

| क्र.सं. | भूखण्डधारी | भूखण्ड क्रेता/वारिसान | भूखण्ड साइज व पता |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री हरि सिंह, राम सिंह, पिता श्री फौज सिंह सिक्ख श्री करम सिंह पिता स्व.सायब सिंह सिक्ख, नानकी कौर अमरती कौर पुत्री श्री फौज सिंह सिक्ख नि.बड़ीसादड़ी हा.मु.न्यु जादविन्द्रा कॉलोनी, पटियाला, पंजाब | श्रीमती अनिता जारोली पत्नी श्री धनरूप जारोली श्रीमती अंगुरबाला जारोली पत्नी महेन्द्र कुमार जारोली निवासी बड़ीसादड़ी | 4000 वर्गफीट सुखाड़िया कॉलोनी, झरना मार्ग बड़ीसादड़ी |
| 2 | श्री प्रेमनारायण पिता श्री गोपीलाल पण्ड्या निवासी बड़ीसादड़ी | श्री शेषकरण दान पिता श्री तख्तदान जी निवासी चारणखेड़ी | 978.50 वर्गफीट महालक्ष्मी नगर, उदयपुर-चित्तौड़ रोड़ भूखण्ड सं.09 बड़ीसादड़ी |
| 3 | श्री बंशीलाल पिता श्री रामलाल कण्डारा निवासी बड़ीसादड़ी | श्री दिनेश चन्द्र कण्डारा, श्री संतोष सांवरिया पिता श्री नारायण लाल कण्डारा | 1253.34 वर्गफीट कृष्ण वाटिका बड़ीसादड़ी |
| 4 | श्री अमर सिंह पिता श्री मांगीलाल मेहता श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री अमर सिंह मेहता निवासी बड़ीसादड़ी | श्री नरेन्द्र कुमार, श्री सतीष कुमार पिता श्री अमर सिंह मेहता निवासी बड़ीसादड़ी | 2400 वर्गफीट हाई सैकेण्डरी स्कूल के आगे आश्रम रोड़बड़ीसादड़ी |
| 5 | श्री हेमन्त कुमार पिता रोडमल गंगवाल निवासी बड़ीसादड़ी | पूर्वः-रास्ता 10 फीट<br>पश्चिमः-रास्ता 30 फीट<br>उत्तरः- आबीद, मनीष सोनी, भरत सुथार, नरेन्द्र मेनारिया का भूखण्ड<br>दक्षिणः-रास्ता 30 फीट | 2812.5 वर्गफीट नगरपालिका कर्मचारी कॉलोनी, बड़ीसादड़ी भूखण्ड सं. ए 28 |

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बड़ीसादड़ी



पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सब सिटी सेन्टर रेती स्टैंड, उदयपुर, राजस्थान, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [ नियम 8( 1 ) देखें]
सांकेतिक कब्जा सूचना ( अचल सम्पत्ति के लिए )

जबकि
अधोहस्ताक्षरकर्ता **अशोक कुमार गुप्ता** ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणियों **श्री मनीष कुमार हरिजन पुत्र श्री शंकर लाल हरिजन, श्रीमती लाड रानी पत्नी श्री शंकर लाल हरिजन एवं जमानतदार श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री शम्भू लाल हरिजन** पर मांग सूचना **दिनांक 08.05.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशी **रू. 7,18,897.00 ( रूपये सात लाख अठारह हजार आठ सौ सतानवे मात्र ) प्लस दिनांक 01.05.2024 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणियों एवं जमानतदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणियों, बंधककर्ता व जमानतदार और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 04, माह सितम्बर, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13( 4 ) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।
कर्जदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13( 8 ) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार राशि **रू. 7,18,897.00 ( रूपये सात लाख अठारह हजार आठ सौ सतानवे मात्र ) प्लस दिनांक 01.05.2024 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय- बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़, ( राजस्थान )( 952100 )** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन
श्रीमती लाड रानी पत्नी श्री शंकर लाल हरिजन के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो पट्टा नं. 29/2012, हरिजन बस्ती, बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312023 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 727.2 वर्ग फीट है। **सीमाएं-** पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः स्व. श्री मांगीलाल हरिजन का मकान, उत्तरः श्री राजू पुत्र श्री हीरा हरिजन एवं श्री नन्दराम पुत्र श्री माधु हरिजन का मकान, दक्षिणः आम रास्ता
स्थान: बेगूं
दिनांक: 04.09.2024
हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक
पंजाब नैशनल बैंक



पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सब सिटी सेन्टर, रेती स्टैंड, उदयपुर राजस्थान-313001, फोन नं.: 8840764553, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

अचल सम्पत्ति की विक्रय सूचना

**प्रतिभूति हित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 के नियम 8( 6 ) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतुई-नीलामी विक्रय नोटिस।**
सर्व-साधारण को और विशेष रूप से ऋणियों/जमानतदारों को विशेषतः यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का अधिग्रहण रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक रूप से **पंजाब नैशनल बैंक** प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि, ऋणियों/जमानतदारों से **पंजाब नैशनल बैंक** प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि ( धरोहर राशि ) संबंधित सम्पत्तियों के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

सुरक्षित संपत्ति की अनुसूची

| लोट नं. | शाखा कार्यालय / खाते का नाम / ऋणियों/जमानतियों का नाम व पता | बंधक सम्पत्ति का विवरण ( बंधककर्ता का नाम ) | ( ए ) 13 ( 2 ) नोटिस की दिनांक / ( बी ) बकाया ऋण राशि दिनांक तक / ( सी ) कब्जा दिनांक / ( डी ) कब्जे का प्रतीक प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक | ( ए ) आरक्षित मूल्य / ( बी ) धरोहर राशि / ( सी ) बोली वृद्धि राशि | ई-नीलामी दिनांक व समय | प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शाखा हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर<br>मैसर्स कुशल फर्टिलाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री केशव राम डांगी पुत्र श्री चौखा राम, श्रीमती इन्दा डांगी पत्नी श्री केशव राम डांगी एवं श्री आकाश सोनी पुत्र श्री हीरा लाल सोनी<br>मैसर्स कुशल फर्टिलाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक भूमि खसरा नं. 1929/1108, राजस्व गाँव रठाणा, मावली जंक्शन, उदयपुर 313203<br>निदेशक एवं जमानतदार-<br>( 1 ) श्री केशव राम डांगी पुत्र श्री चौखा राम भूमि एवं भवन जो खसरा नं. 761, गाँव होली, पटवार सर्कल, बांसलिया, तहसील मावली, उदयपुर<br>( 2 ) श्रीमती इन्दा डांगी पत्नी श्री केशव राम डांगी भूमि एवं भवन जो खसरा नं. 761, गाँव होली, पटवार सर्कल, बांसलिया, तहसील मावली, उदयपुर-313203<br>( 3 ) श्री आकाश सोनी पुत्र श्री हीरा लाल सोनी 539, अम्बामाता स्कीम, अम्बामाता मंदिर के पिछे, उदयपुर-313001<br>जमानतदार-<br>( 1 ) श्रीमती राधा रानी सोनी पत्नी श्री हीरा लाल सोनी 539, अम्बामाता स्कीम, अम्बामाता मंदिर के पिछे, उदयपुर-313001<br>( 2 ) श्री देवेन्द्र भारती पुत्र श्री मुंशी भारती फ्लैट नं. 502, पांचवी मंजिल, जय श्री राम अपार्टमेन्ट, हिरण मगरी, सेक्टर 14, उदयपुर, राजस्थान- 313002<br>( 3 ) श्री सुरेश चन्द्र लोहार पुत्र श्री राम लाल लौहार प्लॉट नं. 5-बी, शिव नगर, सोफिया स्कूल के सामने, दक्षिण सुन्दरवास, उदयपुर 313003 | मैसर्स कुशल फर्टिलाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम औद्योगिक भूमि एवं भवन जो खसरा नं. 1929/1108, गाँव रठाणा, पटवार जोन नूरडा, तहसील मावली, उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5020 वर्ग मीटर है। सीमाएं- उत्तरः आराजी नं. 1967/1108 रास्ता, दक्षिणः आराजी नं. 1932/1108 श्रीमती दुर्गा बाई पत्नी श्री हरि राम गुर्जर एवं श्रीमती पप्पू बाई पत्नी श्री मनोहर लाल गुर्जर, पूर्वः आराजी नं. 1107 श्री नाना पुत्र श्री गणेश गुर्जर, पश्चिमः आराजी नं. 1108 श्री नाना पुत्र श्री गणेश गुर्जर एवं प्लान्ट एवं मशीनरी<br>नीलामी संदर्भ संख्या: PUNBUH250138026 | ए ) 20.05.2022<br>बी ) रू. 2,79,07,063.60 दिनांक 30.04.2022 को बकाया + आगे का ब्याज<br>सी ) 01.09.2022<br>डी ) भौतिक कब्जा | ए ) रू. 2,38,78,300/-<br>बी ) रू. 23,87,830/-<br>सी ) रू. 50,000/- | 23.09.2024 सुबह 11:00 बजे से साँय 04:00 बजे तक | ज्ञात नहीं |

**शर्तें व निबन्धन-** बिक्री प्रतिभूति हित ( प्रवर्तन ) नियम 2002 में निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगी। **1.** सम्पत्ति को **"जो जहाँ है, जो जैसा है, और जो कुछ भी है"** के रूप में बेचा जाएगा। **2.** इस अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्ति के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की प्राप्त पूर्ण जानकारी के अनुसार ही प्रतिभूत आस्तियों को उपर दिखाई गई तालिका के अनुसार बेचा जाएगा, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। **3.** उपरोक्त बिक्री https://ebkray.in की वेबसाइट पर उपरोक्त तालिका में वर्णित **दिनांक 23.09.2024** को सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक ई नीलामी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। **4.** विक्रय की विस्तृत जानकारी हेतु व निबन्धन और शर्तों के लिए कृपया https://ebkray.in एवं www.pnbindia.in देखें।
दिनांक: 07.09.2024
स्थान: उदयपुर
हस्ता.
( शैलेन्द्र कुमार वर्मा )
प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8( 6 ) के अधीन विक्रय की वैधानिक सूचना